-1-

10 रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES रु.10

10 रु. कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES रु.10

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प भोपाल म. प्र.।

निगरानी 822-II-15

निगरानी प्रक. क. ए/2015

1. ज़िया उल हसन आयु लगभग 42 वर्ष पुत्र स्व. श्री ज़हूर उल हसन धंधा कृषि निवासी म. न. 12बी बाल बिहार भोपाल वर्तमान पता प्लाट न. 61 फ्लेट न. एफ1 सिविल लाईन शामला हिल्स रोड भोपाल
2. वली उल्ला खॉ आयु लगभग 72 वर्ष पुत्र श्री फैज उल्ला खॉ निवासी मोहल्ला टोरी गली कार्तिक पथ वार्ड न. 8, सिरोंज ज़िला विदिशा

------ निगरानीकर्तागण

विरूद्ध

1. मोहम्मद सलीम गौरी पुत्र श्री बाबू खॉ निवासी मोहल्ला नयापुरा सिरोंज ज़िला विदिशा
2. शगुफ्ता बी पत्नि कल्लू खॉ पुत्री श्री हामिद खॉ आयु व्यस्क निवासी ग्राम सेमलखेडी तहसील सिरोंज जिला विदिशा
3. सालेहा बी पुत्री अब्दुल करीम खॉ आयु व्यस्क निवासी निकट मस्जिद रथखाना भोपाल
4. शकील मियॉ पुत्र श्री अब्दुल हफीज़ खॉ आयु व्यस्क निवासी पायगा मोती बॉग खादी भण्डार के पास टोक राजस्थान
5. नदीम मियॉ पुत्र अब्दुल हफीज खॉ आयु व्यस्क निवासी पायगा मोती बॉग खादी भण्डार के पास टोक राजस्थान
6. दुरदाना आयु व्यस्क पुत्री अब्दुल हफीज निवासी मोहल्ला बिसातियान जयपुर
7. सुल्ताना बी पुत्री अब्दुल हफीज आयु व्यस्क पुत्री अब्दुल हफीज पत्नि शहजाद मियॉ निवासी बडे जैन मंदिर के सामने तीन शेड न्यू मार्केट भोपाल
8. कादिर मोहम्मद आयु व्यस्क पुत्र श्री अब्दुल मजीद खॉ निवासी मोहल्ला छबडा हाथीखाना राजस्थान
9. मुर्शरफ अली आयु व्यस्क पुत्र श्री अब्दुल मजीद खॉ निवासी मोहल्ला छबडा हाथीखाना राजस्थान
10. श्रीमती रईसा बानो पत्नि मक़सूद अली खॉ आयु व्यस्क निवासी बडे जैन मंदिर के सामने तीन शेड न्यू मार्केट भोपाल
11. मोहम्मद उमर खॉ पुत्र रऊफ खॉ आयु व्यस्क निवासी मोहल्ला छबडा हाथीखाना राजस्थान
12. जुल्फेकार खॉ पुत्र अब्दुल रऊफ खॉ आयु व्यस्क निवासी मोहल्ला छबडा हाथीखाना

अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
भोपाल संभाग, भोपाल

निरंतर.........2

-2- सिग. 822.17/15 (विविधा)

राजस्थान

13. नसीर उद्दीन बेग पुत्र श्री मुस्तफा बेग
    निवासी काफला मोहल्ला टोक राजस्थान
14. इब्राहीम यूसुफ बेग पुत्र मुस्तफा बेग मृत द्वारा
    वैध प्रतिनिधीगण
    (अ) मुमताज बेगम पत्नि स्व. श्री इब्राहीम यूसुफ बेग
    (ब) हिना कासमी पुत्री इब्राहीम यूसुफ बेग आयु व्यस्क निवासी 55, एकता मार्ग आदर्श नगर जयपुर

------ प्रतिप्रार्थीगण

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 822–दो/15 जिला – विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13–7–16	प्रकरण का अवलोकन किया । आवेदकों द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, सिरोंज जिला विदिशा के प्रकरण कमांक 118/अपील/10–11, 119/अपील/10–11 एवं 22/अपील/12–13 में पारित आदेश दिनांक 14–1–15 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । आलोच्य आदेश द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदकों द्वारा संहिता की धारा 32 के तहत प्रस्तुत आवेदन निरस्त किया गया है एवं प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत किया गया है । 2/ प्रकरण का अवलोकन किया गया तथा आवेदकगण की ओरसे प्रस्तुत लिखित बहस एवं अनावेदक कमांक 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का परिशीलन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश में आवेदकों द्वारा प्रस्तुत संहिता की धारा 32 के आवेदन के संबंध में उभयपक्षों को सुनने के उपरांत यह पाया है कि उनके समक्ष जो तीन अपीलें हैं वेएक ही भूमि के संबंध में हैं एक प्रकरण का असर अन्य अपीलों पर भी पड़ेगा । अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि मामला नामांतरण से संबंधित है और प्रकरण की विषय वस्तु राजस्व न्यायालय से संबंधित है । इस कारण उन्होंने प्रकरण में स्वत्व का प्रश्न उत्पन्न होना नहीं माना है । उन्होंने यह भी लेख किया है कि प्रकरण पूर्व से साक्ष्य हेतु नियत था किंतु साक्ष्य प्रस्तुत न कर प्रकरण को अनावश्यक विलंबित रखा जा रहा है । उक्त आधारों पर	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	उन्होंने प्रकरण में स्वत्व का प्रश्न उत्पन्न होना नहीं माना है । उन्होंने यह भी लेख किया है कि प्रकरण पूर्व से साक्ष्य हेतु नियत था किंतु साक्ष्य प्रस्तुत न कर प्रकरण को अनावश्यक विलंबित रखा जा रहा है । उक्त आधारों पर उन्होंने आवेदकों की ओर से प्रस्तुत धारा 32 के आवेदन को निरस्त किया है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में कोई त्रुटि या अवैधता परिलक्षित नहीं होती है । आदेश उचित एवं न्यायिक है जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है । उभयपक्ष सूचित हों एव्र प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	